ग्राम पंचायत जियुन्ता, विकास खण्ड भटियात, तहसील डलहौज़ी, जिला चम्बा
हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017
भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ,जियुन्ता, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया l

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री महिन्द्र सिंह	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति सपना देवी	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री रणजीत सिंह	2011 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	**पैरा स०**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशी {`लाखों में }**
1.	4.2	रोकड़ बही का बैंक के साथ मिलान न करना	विवरणानुसार
2 .	6	बजट ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने बारे	विवरणानुसार
3 .	7	निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना	2.10
4 .	8	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष	1.26
5 .	9	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करना	0.91
6.	9.1	अनुदानों का अवरोधन	39.46
7.	10	निर्माण कार्य न करने के कारण आहरित राशि	2.10

		का संदिग्ध दुर्विनियोजन	
8.	11	निर्माण कार्य पर मूल्यांकित राशि से अधिक खर्च करना	1.64
9.	12	निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिका न प्रस्तुत करना	विवरणानुसार
10.	13	विभिन्न रोकड़ बहियाँ बिल/वाउचर न प्रस्तुत करना	विवरणानुसार
11.	14	औपचारिकता के बिना खरीद	1.16
12.	15	निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना	1.34

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत जियुन्ता, विकास खण्ड भटियात, तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा के अवधि 01/4 /2014 से 31/03 /2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँचपरीक्षण,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है,श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 3.11.2017 से 8.11.2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय जियुन्ता में किया गया l आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 07 /14,04/15 व 06/16 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 07/14,05/15 व 03/17 को चयनित किया गयाl

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है l उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा l अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है l

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत जियुन्ता, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है l उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:261 दिनांक 08-11-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जियुन्ता से अनुरोध किया गया l

4 **वितीय स्थिति**:- ग्राम पंचायत जियुन्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1}स्व: स्त्रोत :- ग्राम पंचायत जियुन्ता के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	11159	31475	**42634**	18943	**23691**
2015-16	23691	36987	**60678**	111350	**-50672**
2016-17	-50672	82417	**31745**	23324	**8421**

{2}अनुदान :- ग्राम पंचायत जियुन्ता के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	455920	2620444	**3076364**	2182620	**893744**
2015-16	893744	844065	**1737809**	961801	**776008**
2016-17	776008	5639921	**6415929**	2470202	**3945727**

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HPSCB banikhet	17610106434	1424083
2.	----do------	17610105014	14412
3.	----do------	17610108101	305356
4.	----do------	17610108102	2210297
		TOTAL	**₹3954148**

4.1 **बैंक समाधान विवरणी :-**

(क) दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹3954148

(ख) दिनांक 31.3.17 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष (1+2) ₹3954148

4.2 **रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना** :-

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा सामान्य निधि की कुछ अवधि रोकड़ बही व अंकेक्षण अवधि की BRGF निधि की रोकड़ बही **(जिसका विस्तारपूर्वक विवरण आगामी पैरा में दिया गया है)** अंकेक्षण में आवयश्क जाँच

हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में रोकड़ बही अनुसार उक्त पंचायत की वित्तीय स्थिति की जाँच नहीं की जा सकी व रोकड़ बही का बैंक पास बुक से मिलान नहीं किया जा सका l जबकि हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य थाl अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है l अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए l

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को तैयार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी l प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी l इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है l इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है l इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये l

6 बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्धारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था l अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं करवाया गया था l इस प्रकार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा द्धारा अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्धारा किया गया व्यय अनियमित था l अत:उक्त अवधि के बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित करवाना सुनिश्चित किया जाए l

7 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना :-

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा अवधि 07-04-14 से 30-03-15 तक ₹210000 की अत्याधिक राशि **को हस्तगत के रूप में** निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जबकि नियमानुसार केवल एक हजार तक की राशि हस्तगत रखी जा सकती थी, जोकि {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है l मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में आवश्यक जाँच हेतु लाया जाता है अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त राशि पर दण्ड ब्याज की राशि की गणना करने उपरांत उत्तरदायी से वसूली की जाए व भविष्य में भी नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए l

8 पंचायत राजस्व ₹1.26 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-17 तक पंचायत के राजस्व ₹125650 की वसूली शेष थी l

गृहकर :-

वर्ष	**आ. शेष**	**मांग**	**योग**	**प्रप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2014-15	30700	31050	61750	0	61750
2015-16	61750	31700	93450	0	93450
2016-17	93450	32200	125650	0	125650

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा गत तीन वर्षो में गृह कर नहीं वसूला गया है जो कि एक गंभीर अनियमितता है अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है l उक्त बकाया गृह कर को शीघ्र वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए l

9 प्राप्त अनुदानों से ₹0.91 लाख का अधिक व्यय करना :-

पंचायत सचिव जियुन्ता द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान DCP के शीर्ष के अन्तर्गत **₹91154** , इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय किए गए जोकि अनियमित है l इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए तदानुसार उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को

वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए l

9.1 अनुदान ₹39.46 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्धारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹3945727** उपयोग हेतु शेष थी l ग्राम पंचायत द्धारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा l अंकेक्षण द्वारा इस सन्दर्भ में चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत जियुन्ता को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया l अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए l

10 निर्माण कार्य न करवाने के कारण ₹2.10 लाख का संदिग्ध दुर्विनियोजन: –

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार सामान्य निधि से **"श्मशानघाट घाट विद रेन शेड ऐट ढूंडियारा खड"** के निर्माण कार्य पर **₹210000** व्यय किए गए दर्शाए गए है l अंकेक्षण द्वारा सचिव व प्रधान से उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो सचिव व प्रधान द्वारा अंकेक्षण को सलग्न **परिशिष्ट-2** के प्रमाण पत्र द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त निर्माण कार्य आज दिनांक तक शुरू नहीं हुआ है जिस कारण उक्त निर्माण कार्य की प्रविष्टि माप पुस्तिका में नहीं हुई है जबकि उक्त निर्माण कार्य पर व्यय किए लगभग तीन वर्ष हो चुके है ,अंकेक्षण द्वारा जाँच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य के लिए निम्न विवरणानुसार निर्माण सामग्री का क्रय किया गया व मस्टररोल द्वारा मजदूरी का भुगतान भी किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य न करवा कर ₹210000 का दुर्विनियोजन किया गया है l इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना सं 250 दिनांक 06-11-17 द्वारा प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया, अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारीयों के ध्यान में विभागीय जाँच हेतु लाया जाता है ताकि उक्त प्रकरण की जिम्मेदारी निर्धारित करने उपरांत उक्त राशि की शीघ्र वसूली दण्ड ब्याज सहित करके पंचायत निधि

में जमा करवाना सुनिश्चित किया जा सके तदानुसार की गई पूर्ण कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए l

वा .सं	माह	भुगतान की गई राशि	विवरण
23	03/15	57600	सरिया
24	03/15	11100	बजरी
35	03/15	24000	रेत
36	03/15	15000	पत्थर
37	03/15	8000	शीट
38	03/15	22000	एंगल
39	03/15	18000	रेत,बजरी की ढुलाई
40	03/15	9000	मस्टररोल द्वारा मजदूरी
41	03/15	41754	यथोपरि
42	03/15	3546	वेल्डिंग कार्य
	कुल जोड़	**₹210000**	

11 निर्माण कार्य पर मूल्यांकित राशि से ₹1.64 लाख अधिक खर्च करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार सामान्य निधि से **" कलवर्ट ऐट सकरेरा "** के निर्माण कार्य पर **₹434776** खर्च किए गए दर्शाए गए है जबकि निम्न बिल/वाउचरों के साथ सलग्न कनिष्ट अभियंता द्वारा की गई मूल्यांकित शीट (अस्सेस्मेंट शीट) के अनुसार केवल `270330/- का भुगतान किया जाना अपेक्षित था जबकि उक्त निर्माण कार्य पर पंचायत द्वारा ₹164446 का अधिक भुगतान किया गया जो कि एक गंभीर अनियमितता है मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में लाया जाता है ताकि उक्त मामले की विभागीय जाँच करने उपरांत जिम्मेदारी निर्धारित करके उक्त अधिक भुगतान राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित करके पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जा सके व की गई पूर्ण कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए l

वा .सं	दिनांक	भुगतान की गई राशि	विवरण
21 से 23	18-03-14	69500	रेत,बजरी,ढुलाई व पत्थर
10 से 13	19-08-14,20-08-14	61570	रेत,बजरी,सीमेंट व पत्थर
14व 15	05-09-14,15-09-14	21200	सीमेंट व पत्थर
16	04-10-14	38718	मस्टररोल
19 से 22	16-12-14	171505	सरिया,पत्थर,मस्टररोल

26 व 27	07-02-15	37933	रेत,बजरी,सीमेंट
29	20-03-15	34350	मस्टररोल
	कुल जोड़	**₹434776**	

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार 50000/- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था l निर्माण कार्यों से चयनित माह के सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा सभी निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई ,जिसके आभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी l उक्त बारे अंकेक्षण अधियाचना सं 260 दिनांक 06-11-17 द्वारा सचिव/प्रधान को अवगत करवाया परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया l अत: निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भीअवगत करवाया जाए l

13 रोकड़ बहीयां व बिल/वाउचर न प्रस्तुत करने बारे :-

(क) अंकेक्षण के दौरान जाँच में अवधि 04/15 से 09-03-16 तक व 24-06-16 से 31-03-17 तक की सामान्य निधि की रोकड़ बही व बिल/वाउचर अंकेक्षण में आवयश्क जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में आय-व्यय की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जो की एक गंभीर अनियमितता है अंकेक्षण अधियाचना सं 260 दिनांक 06-11-17 द्वारा उक्त रोकड़ बही व बिल/वाउचरों को प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण को कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि एक गंभीर अनियमितता है अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये l इस निधि की वित्तीय स्थिति पासबुक से तैयार की गई है l

(ख) अंकेक्षण के दौरान जाँच में अंकेक्षण अवधि की BRGF निधि की रोकड़ बही व बिल/वाउचर अंकेक्षण में आवयश्क जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में आय-व्यय की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गंभीर अनियमितता है अंकेक्षण अधियाचना सं 260 दिनांक 06-11-17 द्वारा उक्त रोकड़ बही व बिल/वाउचरों को प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को कोई उत्तर नहीं दिया गया अत: औचित्य स्पष्ट करते

हुए अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये l इस निधि की वित्तीय स्थिति पासबुक से तैयार की गई है l

(ग) अंकेक्षण के दौरान जाँच में वर्ष 2015-16 व 2016-17 की मनरेगा निधि की रोकड़ बही आवयश्क जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई इसके अतिरिक्त माह 04/14 के कुल ₹760656 के व्यय में से केवल ₹414000 के बिल वाउचर व माह 02/17 के चयनित माह के व्यय बिल अंकेक्षण में आवयश्क जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में उक्त अवधि के आय-व्यय की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गंभीर अनियमितता है अंकेक्षण अधियाचना सं 260 दिनांक 06-11-17 द्वारा उक्त रोकड़ बही व् बिल/वाउचर को प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण को कोई उत्तर नहीं दिया गया अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये l इस निधि की वित्तीय स्थिति ऑनलाइन आधार पर तैयार की गई है l

14 . औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.16 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है l व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹116500** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया l जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है l अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत जियुन्ता को अवगत करवाया गयाl अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाएl

15 क्रय की गई ₹1.34 लाख निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित है l परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-4** पर **₹134250** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है l अंकेक्षण

द्वारा चर्चा के दौरान इस सन्दर्भ में सचिव,ग्राम पंचायत जियुन्ता को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया l बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी l अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए भण्डार प्राप्ति व उपयोग लेखा तैयार किया जाए व अंकेक्षण से जांच करवाई जाए अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है l

16 रोकड़ बही को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम7(1) के अनुसार शीर्ष की तैयार रोकड़ बहियों को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित किया जायेगा परन्तु सामान्य निधि की अवधि 16-12-14 से 31-03-15 व 04/16 से 23-06-16 तक की उक्त रोकड़ बही को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित नहीं किया गया था जिसके अभाव में इस अवधि में आय व व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त रोकड़ बहि को सम्बन्धित प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित करवाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए l

17 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है l अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत जियुन्ता को अवगत करवाया गया l

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही
8 .	मस्ट्रोल रजिस्टर

18 निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट -4** के अनुसार पत्थर की 18 फरी(ढेर) पत्थर की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु पत्थरों की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके अभाव में पत्थर की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जो की एक गम्भीर अनियमितता है अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारीयों के ध्यान में जाँच हेतु लाया जाता है अत: पत्थर की मात्रा के स्थान पर केवल फरी दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए l

19 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए l

20 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही l

21 लघु-आपति विवरणिका:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है l

22 निष्कर्ष :- लेखों का रख-रखाव अतिचिन्ताजनक है रोकड़ बहियों व बिल/वाउचर को न प्रस्तुत करने का प्रकरण उच्च अधिकारीयों के विशेष ध्यान में विभागीय

जाँच हेतु लाया जाता है अत:लेखों में अतिसुधार एवं अत्यधिक कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है l

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(7)17/2018 खण्ड–1–2880–2883 दिनांक26.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत जियुन्ता, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881